

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 राजकुमार मय हमराह रि0का0 सुजीत राव चालक का0 आशुतोष यादव व रि0का0 शिवम सिंह , रि.म.का. वन्दना यादव , रि0म0का0. रिया मोदनवाल द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0अ0सं0-80/12 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त मोहसिम उर्फ छोटू पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम रहवई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहसिम उर्फ छोटू पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम रहवई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम -

उ0नि0 राजकुमार मय हमराह रि0का0 सुजीत राव चालक का0 आशुतोष यादव व रि0का0 शिवम सिंह , रि.म.का. वन्दना यादव , रि0म0का0. रिया मोदनवाल थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 इन्देश कुमार मय हमराह कां0 कुशल व का0 चंदन के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय प्रतापगढ़ महोदय द्वारा जारी मु0अ0सं0 579/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी 01 अभियुक्त शाहिद उर्फ नाटे पुत्र स्व० रशीद उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम चक फतेहअली शाह कस्बा सिटी थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ को चक फतेहअली शाह से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शाहिद उर्फ नाटे पुत्र स्व० रशीद उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम चक फतेहअली शाह कस्बा सिटी थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 इन्देश कुमार मय हमराह कां0 कुशल व का0 चंदन थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कंधई के उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह रि0का0 राहुल पटेल द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 318/2022 धारा 147/323/504/506/325/427 आईपीसी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त लाले यादव उर्फ प्रमोद

यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम दुलापुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष के थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. लाले यादव उर्फ प्रमोद यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम दुलापुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष।

पुलिस टीम -

उ०नि० अनुपम पटेल मय हमराह रि०का० राहुल पटेल थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

हत्या का प्रयास में 10000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त संतोष यादव को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह मोड बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

दिनांक 25.04.2026 को ग्राम रेडीगारापुर निवासी वादी के अनुसार मोहिनी तालाब के पास पूर्व नियोजित योजना के तहत कुलदीप चौरसिया, विनय चौरसिया, सचिन चौरसिया व संतोष यादव द्वारा अपाची बाइक से आकर वादी को पकड़कर चाकू से जानलेवा हमला किया गया तथा बीच-बचाव करने आए विजय यादव व शिवम यादव को भी चाकू व डंडे से घायल कर दिया गया, जिससे शिवम यादव गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व रंजिश के चलते घटना कारित करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना पट्टी पर मु०अ०सं० 165/2026 धारा 3(5)/61(2)/109 (1)/110/351 (3) बीएनएस बनाम 04 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में थाना पट्टी के उ०नि० विजय कुमार यादव मय हमराह का० अभिनव नारायण सिंह व रि०का० अविनाश कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 165/2026 धारा 3(5)/61(2)/109 (1)/110/351 (3) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 10000/- रुपये का ईनामिया 01 वांछित अभियुक्त संतोष यादव पुत्र स्व० छोटेलाल यादव नि० ग्राम रेडीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह मोड बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि जब से यह मुकदमा लिखा है तभी से पुलिस बचते हुए मुम्बई में जाकर रहकर काम धन्धा कर रहा था। अचानक घर पर कोई विशेष कार्य पड़ जाने के कारण आया था और आज पुनः मुम्बई जाने के लिए निकला ही था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संतोष यादव पुत्र स्व० छोटेलाल यादव नि० ग्राम रेडीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

अभियुक्त संतोष यादव पुत्र स्व० छोटेलाल यादव नि० ग्राम रेडीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. अ०सं० 07/2022 धारा 323/504/506 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

2. अ०सं० 41/2023 धारा 307/34/341/386/506 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

3. अ०सं० 165/2026 धारा 109(1)/110/3(5)/351(3)/61(2) BNS थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

4. अ०सं० 48/2025 धारा 115(2)/3(5)/324(2)/351(3)/352 BNS थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर

5. अ0सं0 46/2020 धारा 201/302 IPC थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का0 अभिनव नारायन सिंह व रि0का0 अविनाश कुमार यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 शातिर अपराधी मोहम्मद साबिर खान उर्फ कल्लन को किया गया गिरफ्तार, साथ ही अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद देशी नाजायज सुतली बम बरामद किया गया-

अभियुक्त को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत सरस्वती विद्यामन्दिर इण्टर कालेज चौराहे ग्राम कस्बा लालगंज के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानचन्द्र तिवारी मय हमराह का0 राहुल यादव व रि0का0 मनीष यादव व रि0का0 सच्चिदानन्द मय चालक हो0गा0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत मसरस्वती विद्यामन्दिर इण्टर कालेज चौराहे ग्राम कस्बा लालगंज के पास से 01 अभियुक्त मोहम्मद साबिर खान उर्फ कल्लन पुत्र मोहम्मद जुम्मन खान उर्फ तन्ने निवासी ग्राम कुरैसिन का पुरवा मजरा राहटीकर थाना उदयपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष के कब्जे से 04 अदद देशी नाजायज सुतली बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त समशेर उर्फ शमसुल कब्जे से 04 अदद देशी नाजायज सुतली बम बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 278/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहम्मद साबिर खान उर्फ कल्लन पुत्र मोहम्मद जुम्मन खान उर्फ तन्ने निवासी ग्राम कुरैसिन का पुरवा मजरा राहटीकर थाना उदयपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।

अभियुक्त मोहम्मद साबिर खान उर्फ कल्लन पुत्र मोहम्मद जुम्मन खान उर्फ तन्ने निवासी ग्राम कुरैसिन का पुरवा मजरा राहटीकर थाना उदयपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 184/2020, धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 307 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 188/2020, धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 285/2020, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 169/2025, धारा 25/3 आयुध अधिनियम, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 15/2025, धारा 112, 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 278/2026, धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

04 अदद देशी नाजायज सुतली बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ज्ञानचन्द्र तिवारी मय हमराह का0 राहुल यादव व रि0का0 मनीष यादव व रि0का0 सच्चिदानन्द मय चालक हो0गा0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मारपीट, बलवा एवं धमकी के अभियोग में 02 अभियुक्त जय सिंह यादव व दिलीप यादव को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण:

वादी ने आरोप लगाया कि दिनांक 15.07.2026 को अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डंडा, धारदार हथियार आदि हथियारों से लैस होकर उसके प्लाट पर पहुंचे तथा गाली-गलौज करते हुए वादी, व उसके परिजनों के साथ मारपीट की। घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर अभियुक्तों द्वारा मोबाइल छीन लिया गया तथा बीच-बचाव करने आए व्यक्ति का भी मोबाइल क्षतिग्रस्त कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना कुण्डा पर धारा-191(2),191(3),190,115(2),352,351(3),304,324(4) बीएनएस बनाम 09 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह का0 भूपेन्द्र सिंह, रि0का0 अमित गिरि, रि0 म0का0 दीपालजी गुप्ता व महिला आरक्षी प्रिया शुक्ला, का0 आशुतोष कुमार यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-257/2026 धारा-191(2), 191 (3), 190,115 (2), 352,351 (3),304,324 (4) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02अभियुक्त 1.जय सिंह यादव पुत्र हरीलाल यादव निवासी मनगढ बर्जवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष 2. दिलीप यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी ग्राम मनगढ बर्जवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत कबरियागंज नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

उक्त प्रकरण में इससे पूर्व 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. जय सिंह यादव पुत्र हरीलाल यादव निवासी मनगढ बर्जवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष।
2. दिलीप यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी ग्राम मनगढ बर्जवा थाना कुण्डा प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह का0 भूपेन्द्र सिंह, रि0का0 अमित गिरि, रि0 म0का0 दीपालजी गुप्ता व महिला आरक्षी प्रिया शुक्ला, का0 आशुतोष कुमार यादव थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।